राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)
एयरपोर्ट रोड, गांधीनगर, भोपाल (म.प्र.)-४६२०३३
फोन : ०७५५-२७३४९१३, २६७८८९७
फैक्स : ०७५५-२७४२००६
ईपीएबीएस : ०७५५-२६७८८९१, २६७८८८१
ईमेल : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgtu.net
वेबसाईट : www.rgpv.ac.in

RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA
(State Technological University of Madhya Pradesh)
Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) - 462033
Phone : 0755 - 2734913, 2678897
Fax : 0755 - 2742006
EPABX: 0755 - 2678891, 2678881
Email : registrarrgpv@gmail.com, ooregistrar@rgtu.net
Website : www.rgpv.ac.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांकः रागाप्रौवि / परीक्षा नियंत्रक / 2025 / 3083 दिनांकः 01 / 10 / 2025

बी.टेक. / बी.फार्मेसी / बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में संस्था स्थानांतरण हेतु

सूचना

सत्र 2025–26 मे मध्यप्रदेश के शासकीय, स्वशासी, निजी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्वाशासी एवं स्ववित्तीय इंजीनियरिंग संस्थाओ / महाविद्यालयों, फार्मेसी, आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्थानांतरण के इच्छुक अभ्यार्थियों हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगें:–

01. संस्था / महाविद्यालय स्थानांतरण की कार्यवाही म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 14–14 / 2007 बयालीस (1) भोपाल दिनांक 08 जुलाई 2015 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप की जावेगी (इस आदेश की प्रति वेबसाईट पर उपलब्ध है।)
02. स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.rgpv.ac.in पर प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 13 / 10 / 2025** अथवा स्थानांतरण हेतु अर्हकारी परीक्षा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जून–2025 परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के दो दिनों के अंदर रहेगी। (द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण हेतु अर्हकारी परीक्षा प्रथम वर्ष एवं तृतीय वर्ष में स्थानांतरण हेतु अर्हकारी परीक्षा द्वितीय वर्ष होगी।) इस विश्वविद्यालय से संबद्ध स्वशासी महाविद्यालयों के स्थानांतरण प्रकरणों में अर्हकारी परीक्षा में उत्त्तीर्ण होने पर ही आवेदन मान्य किया जावेगा।
03. स्थानांतरण का आधार अर्हकारी परीक्षा के सैद्धांतिक विषयों में प्राप्तांक होगें।
04. रिक्त स्थानों की गणना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई–दिल्ली एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्वीकृत प्रवेश क्षमता से की जावेगी। स्वीकृत प्रवेश क्षमता (अधिसंख्य Supernumerary सीटों को छोड़कर) से अधिक प्रवेश होने की स्थिति में स्थानांतरण मान्य नही किये जावेगें।
05. मध्यप्रदेश के उपरोक्त उल्लेखित आदेश में यह स्पष्ट प्रावधान है कि स्थानांतरण हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा ही आमंत्रित किये जावेगें। अतः स्थानांतरण हेतु प्राप्त **ऑफलाइन** आवेदनों पर विचार किया जाना **संभव नहीं** होगा। **अतः अभ्यार्थी केवल ऑनलाइन आवेदन ही प्रस्तुत करें।** स्थानांतरण किये जाने के उपरांत स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किया जावेगा।
06. शैक्षणिक सत्र 2025–26 की स्थिति में द्वितीय वर्ष के लिये विश्वविद्यालय द्वारा काउंसलिंग–2025 के लिये जारी प्रथम वर्ष की रिक्तियों / स्थानों के विरूद्ध महाविद्यालय / कालेज स्थानांतरण / परिवर्तन की कार्यवाही नही की जावे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दोनों संस्थाओं की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) एवं पत्र में निर्देशित अन्य आवश्यक दस्तावेंज ऑनलाइन प्रस्तुत करने के पश्चात हार्ड कापी जिसमें एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की **मूलप्रति** सहित, **परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा विभाग कक्ष कमांक 333, राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, गांधी नगर, भोपाल 462033** को निर्धारित तिथि के पूर्व व्यक्तिगत अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हार्डकापी के अभाव में स्थानांतरण की कार्यवाही नही की जावेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित छात्रा / छात्रा का होगा।
07. पूर्व के वर्षो में यह पाया गया है कि कई संस्थाऐं, छात्रों को स्थानांतरण के लिए एनओसी देते समय ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) जारी कर देती है। ऐसे छात्रों के स्थानांतरण प्रकरणों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। छात्रों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिये जाते है कि विश्वविद्यालय द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी होने पर ही संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करें। यदि कोई छात्र संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त कर लेता है तो वह किसी भी संस्था में स्थानांतरण के लियें पात्र नहीं होगा एवं वर्तमान संस्था में भी उसका स्वतः ही प्रवेश निरस्त हो जावेगा, ऐसी स्थिति के लिए छात्र स्वंय ही जिम्मेदार होगें।
08. ऑनलाइन आवेदन सावधानी पूर्वक भरें एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न करें। अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण / ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे। जिसके लिये छात्र स्वंय ही जिम्मेदार होगें।
09. महाविद्यालय स्थानांतरण हेतु प्रति छात्र रूपये 500 / – शुल्क देय होगा। जो कि ऑन लाइन जमा किया जावेगा।

(माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन अनुसार)

01/10/25
कुलसचिव
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।

पृष्ठांकन क्रमांकःएफ–5 / शैक्षणिक / रागाप्रौवि / 2025 / 3084 दिनांकः 01 / 10 / 2025
प्रतिलिपि

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,मंत्रालय भोपाल।
2. निजसचिव माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, संचालनालय तकनीकी शिक्षा,मध्यप्रदेश, चतुर्थ तल, सतपुडा भवन,भोपाल–4620004
5. नियंत्रक (परीक्षा), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
6. डॉ.शशिरंजन अकेला,समन्वयक (सांस्कृतिक–जन्सम्पर्क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल।
7. संचालक / प्राचार्य समस्त संबद्ध संस्था / महाविद्यालय / समस्त स्वशासी महाविद्यालय को इस अनुरोध के साथ स्थानांतरण हेतु आये अभ्यार्थियों को सूचित करने का कष्ट करें कि स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत ना करने की स्थिति में किसी भी आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

01/10/25
कुलसचिव
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल।